# कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांकः F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./~~2016~~ 2017 1442 — दिनांकः– 11/1/17

—:कार्यवाही विवरणः—

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 1/2017 वीं बैठक दिनांक 09.01.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, इसमें जोन दक्षिण के एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1. | अतिरिक्त ऐजेण्डा संख्या 1–अ | मास्टर प्लान 2023 अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सम्मिलित ग्रामों के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गांवों का भू उपयोग बाबत्। | मास्टर प्लान 2023 अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सम्मिलित ग्रामों के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गांवों का भू उपयोग निर्धारित नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.10.16 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए जिसके कम में वर्तमान मास्टर प्लान 2023 के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रकरणों को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.02.2016 में यू–1, यू–2, यू–3 (हाईवे जोन) व ग्रामीण जोन को सरलीकृत कर यू–1 व यू–2 जोन में विभक्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अवगत करवाया गया कि राजस्व सरकार का आदेश कमांक प. 2(6)नविवि/II/2011, जयपुर दिनांक 21.04.2016 द्वारा गठित समिति द्वारा यू–1, यू–2, यू–3/ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में निम्नांकित राय दी :–<br>"उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रमुख नगरों के मास्टर प्लान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में लम्बित जनहित याचिका संख्या 1554/2004 श्री गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में बहस पूर्ण होकर निर्णय हेतु अंतिम दौर में है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र/यू–3 क्षेत्र को समाप्त करने का निर्णय अवमानना होगा, क्योंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी इस वाद में समय–समय पर हरित क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र/वृक्षारोपण पट्टी बाबत् एवं यूआरडीएफपीआई गाईड लाईन के अंतर्गत Compact Development किये जाने के लिए प्रमुखता से राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया गया था।" अतः विचार विमर्श कर वर्तमान मास्टर प्लान 2023 के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रकरणों के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.02.2016 पर पूर्नविचार हेतु प्रकरण पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुसार चार जोन निर्धारित किये गये है राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने भी उक्तानुसार ही जोन रखने की राय दी है जबकि प्राधिकरण की बैठक 02.02.16 में यू–1 एवं यू–2 जोन रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त विरोधाभाषी स्थिति में जोन निर्धारण का अंतिम निर्णय नही होने तक 72 गांव के बाहर के सभी प्रकरण स्थगित रखे जावे। |
| 1. | 01 | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 416 मीन के रकबा 04 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक श्रीमती उर्मिला चौहान पत्नी श्री महेन्द्र सिंह चौहान | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ आवासीय उपयोग हेतु ले आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया :–<br>1. प्रश्नगत भूमि के सामने कटान का रास्ता है। अतः इसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे।<br>2. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।<br>3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2013 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगे।<br>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। |
| 2. | 02 | राजस्व ग्राम पाल के खसरा नं. 178/11 के रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक श्री चतुराराम पुत्र श्री मांगीलाल | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ आवासीय उपयोग हेतु ले आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया :–<br>1. प्रश्नगत भूमि के सामने कटान का रास्ता है। अतः इसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे।<br>2. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | नहीं रहे।<br>3. मौके पर प्रश्नगत भूमि के लगते हुए 220 केवी की एच.टी.लाईन गुजर रही है, नगरीय विकास विभाग, राज. सराकर जयपुर के पत्रांक प. 18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के कम में पत्रावली के पृष्ठ संख्या 73 पर संलग्न ले आउट प्लान अनुसार एच.टी.लाईन से लगते हुए 35 मीटर सेफ्टी कोरीडोर व सडक रखी जावे।<br>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2013 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। |
| 3. | 03 | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 497/1, 498/1 के रकबा 08 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन जरिये श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री करण सिंह | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ आवासीय उपयोग हेतु ले आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया :–<br>1. प्रश्नगत भूमि के सामने कटान का रास्ता है। अतः इसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे।<br>2. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।<br>3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2013 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।<br>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। |
| 4. | 04 | राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 86 के रकबा 04.04. 03 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक -- मैसर्स इन्द्र डेयरी फार्म जरिये भागीदार श्री पदम जैन, श्री लीलाधर जैन | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :–<br>प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण किये जाने पर पाया कि प्रश्नगत योजना के समीप ही प्रार्थी की अन्य योजनाएं भी विकसित है व मौके पर समस्त योजनाओं का आवागमन एक ही गेट से है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विभिन्न योजना का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी 2010 में 2 हैक्टयेर से कम के प्रावधानों का फायदा लिये जाने के लिए किया जा रहा है। जो कि टाउनशिप पॉलिसी की मूल भावना के विरूद्व है। अतः प्रार्थी को समस्त योजनाओं के इग्जाई ले आउट प्लान प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। तब तक प्रार्थी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। |
| 5. | 05 | राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 126/1 के रकबा 01.01 बीघा भूमि का सर्विस स्टेशन प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक – श्री मदन कुमार सिन्हा, अस्टिन्ट जनरल मैनेजर, एच.पी.सी. एल. मित्तल पाईपलाईन लिमिटेड | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त ले–आउट प्लान में भूमि का क्षैत्रफल 1790.99 वर्गगज दर्शाया गया है जबकि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ले–आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण करने पर भूमि का क्षैत्रफल 1812. 80 वर्गगज प्राप्त होता है। प्रकरण की पत्रावली के पैरा संख्या 46 पर उपायुक्त दक्षिण द्वारा भी प्रश्नगत भूमि का क्षैत्रफल 1812.80 वर्गगज होना बताया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि के अनुमोदित ले आउट प्लान में उपरोक्तानुसार क्षेत्रफल 1812.80 वर्गगज पढा जावे। |
| 6. | 06 | राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 35, 41, 42, 43 के ले–आउट प्लान में आंशिक संशोधन बाबत्।<br>आवेदक श्रीमति मंजू पुरोहित पत्नि श्री अविनाश पुरोहित | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि गार्ड पत्रावली में उपलब्ध अनुमोदित ले आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 75 से 84 में भुजा की लंबाई 75 फीट दर्शायी गयी है जब्कि पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त भूखण्डों की लंबाई 90 फीट है। प्रकरण में समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये :–<br>1. योजना का मौका निरीक्षण जोन के तहसीलदार/पटवारी/जेईएन द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे। जो भी क्षेत्र पार्क एवं ऑपन स्पेस के रूप में दर्शित है। उनका स्टेटस चैक किया जावे।<br>2. संम्पूर्ण स्वीकृत ले आउट का एरिया एनालेसिस कर यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृत ले आउट का कुल एरिया मालिकाना हक से कितना क्षेत्रफल कम अथवा अधिक है एवं संशोधन किये जाने के पश्चात क्या स्थिति रहेगी।<br>उपरोक्त कार्यवाही होने तक प्रश्नगत प्रकरण को स्थगित किया जावे। |
| 7. | 07 | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 227, 228, 228/1, 228/2, 228/3 के प्लान्टेशन का पट्टा जारी करने बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 25 का पट्टा विलेख जारी है एवं आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 25 के दक्षिण में स्थित प्लान्टेशन बेल्ट का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | आवेदक श्री किस्तुराराम पुत्र श्री आईदानाराम | राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट–II दिनांक 25.03.2013 उक्त भूखण्ड को पट्टा दिये जाने के बाद का है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश प्रश्नगत प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि 25.03.2013 का आदेश भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। |
| 8. | 08 | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 227, 228, 228/1, 228/2, 228/3 के प्लान्टेशन का पट्टा जारी करने बाबत।<br>आवेदक श्री जेठाराम | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 24 का पट्टा विलेख जारी है एवं आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 24 के दक्षिण में स्थित प्लान्टेशन बेल्ट का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।<br>राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट–II दिनांक 25.03.2013 उक्त भूखण्ड को पट्टा दिये जाने के बाद का है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश प्रश्नगत प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि 25.03.2013 का आदेश भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। |
| 9. | 09 | राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 67/13, 67/14, 67/17 व 67/18 (पुराने खसरा संख्या 67/2) के भूखण्ड संख्या 11 से 14 का संयुक्तीकरण करने बाबत्।<br>आवेदक श्री सुरेन्द्र जांगिड एवं श्री संदीप जांगिड | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण को बीपीसी ले आउट की बैठक दिनांक 20.07.2016 में निरस्त किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निरस्त प्रकरण को बैठक में रखने की पुनः आवश्यकता नहीं है। |
| 10 | 10 | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 243/2 के अनुमोदित ले आउट प्लान में संशोधन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :–<br>प्रस्तुत एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01, 02, 03 के कम में प्रस्तावित मास्टर प्लान सडक की सही स्थिति का निर्धारण करवाये जाने के उपरान्त प्रकरण आगामी बीपीसी (एलपी) बैठक में विचारार्थ रखे जावे। |
| 11 | 11 | राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 275 के क्षेत्रफल 7747.60 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन बाबत।<br>आवेदक श्री जेठूदान पुत्र श्री फुसाराम | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :–<br>प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया। |
| 12 | 12 | राजस्व ग्राम सतलाना तहसील लूणी के खसरा संख्या 629/6 के रकबा 09 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक श्री सुरेश गोयल पुत्र श्री चतुर्भुज | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1–अ में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही कि जाये। प्रकरण स्थगित रखा गया। |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(ज्ञानेश्वर व्यास)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(राजेन्द्र सिंह राठौड)
उपायुक्त दक्षिण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(के.सी. मीना)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 1/2017 वीं बैठक दिनांक 09.01.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. | उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. | निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 5. | सहायक नगर नियोजक प्रथम , जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 6. | सहायक नगर नियोजक द्वितीय , जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)
दिनांक:– 11/1/17 11/1/17

क्रमांक :– 1443-1446

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी) 11/1/17

# कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांकः F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2017 1549 दिनांकः– 11/1/17

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 2/2017 वीं बैठक दिनांक 09.01.2017 को सांय 4.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई. इसमें जोन पूर्व के एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 100/11 के रकबा 02 बीघा भूमि का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान में अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक श्री पवन कुमार मित्तल पुत्र श्री बजरंगलाल | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बिचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :–<br>1. चूंकि भूखण्ड का माप 35 मीटर 35 मीटर है। अतः भवन विनियम अनुसार पेट्रोल पम्प बिना सर्विस स्टेशन रखा जावे।<br>2. भवन विनियम 2013 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन किया जावे।<br>3. सभी विभागों से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रार्थी द्वारा प्राप्त की जावे।<br>4. आई.आर.सी.कोड, एम.ओ.यू.आर.टी.एच. व केन्द्रीय सडक एवं भू तल परिवहन मंत्रालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदण्डों के मानक स्तर की सुनिश्चितता की जावे।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।<br>6. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। |
| 2. | 02 | राजस्व ग्राम पालासनी के खसरा संख्या 277 के रकबा 12 बीघा भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक श्री हीराराम पुत्र श्री बस्ताराम | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत गया। समिति द्वारा बिचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भवन मा समिति (ले आउट प्लान) की 1/2017 वीं बैठक दिनांक 09.01.2017 के अ एजेण्डा संख्या 1–अ में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही कि जाये। |
| 3. | 03 | राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 125 के अनुमोदित ले आउट प्लान में संशोधन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सडक का मौका मुआयना किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे। |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(ज्ञानेश्वर व्यास)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
उपायुक्त पूर्व
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर 10/1/17

(अरुण पुरोहित)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(के.सी. मीना) 10/1/17
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 2/2017 वीं बैठक दिनांक 09.01.2017 को सांय 4.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. | उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. | निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 5. | सहायक नगर नियोजक प्रथम , जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 6. | सहायक नगर नियोजक द्वितीय , जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)
दिनांक: 11/1/17

क्रमांक :– 1450-1455

प्रतिलिपी :– **निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)
11/1/17

# कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांकः F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2017 1456 दिनांकः– 11/1/17

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय :— भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 3/2017 वीं बैठक दिनांक 09.01.2017 को सांय 5.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, इसमें जोन पश्चिम के एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 | राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 119/6 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन पश्चिम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उपरोक्त खसरे के अधिकांश भूखण्डों की भौतिक स्थिति ले आउट की स्थिति से भिन्न है एवं रास्तों की चौडाई भी पत्रावली में संलग्न ले आउट से भिन्न है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मौके पर अतिकमण को अविलंब तहसीलदार द्वारा हटाया जावे एवं ले आउट अनुसार भौतिक स्थिति सुनिश्चित होने पर ही प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे। |
| 2. | 02 | राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 114, 115 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा मानचित्र में अनुमोदित सडकों को यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया। |
| 3. | 03 | राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 216/1, के रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।<br>आवेदक श्री प्रवीण परिहार पुत्र श्री नेमाराम परिहार | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में मास्टर प्लान 2023 अनुसार पार्ट भू उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी में होने के कारण आवेदित भू उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। |
| 4. | 04 | कृषि भूमि खसरा नंबर 32,33,34,35,36,39/1,40,42,43 व 44 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा ग्राम सुथला पटवार हल्का गेंवा, जोधपुर तहसील जोधपुर पर राज्य सरकार की टयूरिज्म पॉलिसी 2015 के अनुरूप रिसोर्ट हेतु।<br>आवेदक श्रीमती शारदा पत्नी श्री गोविन्द नारायण | प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—<br>1. मास्टर प्लान 2023 के तहत यह भूमि Hilly and Rocky दर्शायी गई है। मास्टर प्लान में कहीं भी यह अंकित नहीं है की Hilly and Rocky एरिया में क्या क्या उपयोग अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध मे राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाये।<br>2. प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल 9 बीघा 10 बिस्वा है जो कि 4000 वर्गमीटर से अधिक है। अतः राज्य सरकार से प्रश्नगत भूमि पर रिसोर्ट उपयोग की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कि जावे। |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(ज्ञानेश्वर व्यास)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(दलवीर सिंह ढढ्ढा) 10/1/17
उपायुक्त पश्चिम
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर 10/1/17

~~(अरुण पुरोहित)~~
~~सचिव~~
~~जोधपुर विकास प्राधिकरण~~
~~जोधपुर~~

(के.सी.मीना) 10/1/17
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 3/2017 वीं बैठक दिनांक 09.01.2017 को सांय 5.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. | उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. | निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 5. | सहायक नगर नियोजक प्रथम , जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 6. | सहायक नगर नियोजक द्वितीय , जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)
दिनांक– 11/1/17

क्रमांक :– 1457 – 1462

प्रतिलिपी :– **निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)
10/1/17